यू. पी. राज्य

बनाम

अब्दुल करीम और अन्य

26 जुलाई, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और पी. पी. नौलेकर, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: *धारा 302 सपठित धारा 34 - लोहे की छड़ एवं धारदार काटने वाले हथियारों से हमले के अनुसरण में मृत्यु प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तगण की दोषसिद्धि विचारण न्यायालय द्वारा- अपील में उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त किया- दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील- अभिनिर्धारित एक चश्मदीद गवाह ने जांच के दौरान दिए गए अपने बयान से आंशिक रूप से इंकार किया- दूसरे गवाह ने कहा कि उसने आरोपी व्यक्तियों को हमला करते देखा, लेकिन जिरह के दौरान उसने स्वीकार किया कि जब वह पहुंचा तब हमला खत्म हो चुका था- सभी गवाह खेत से दूर थे जहां घटना घटित हुई। खेत में खड़ी गन्ने की फसल जो कि 6-7 फीट उंची थी, घटनास्थल का दृश्य बाधित हुआ- इसलिए वे हमला होते हुए नहीं देख सके- इसके अलावा समस्त गवाहों ने कहा कि अभियुक्तगण के पास धारदार*

हथियार व लोहे की रॉड थी लेकिन एक भी चोट धारदार हथियार से नहीं थी- समस्त साक्ष्य की असंगत प्रकृति को देखते हुए उच्च न्यायालय ने अभियोजन की कहानी को सही ढंग से खारिज किया एवं दोषसिद्धि को अपास्त किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रत्यर्थीगणों ने पी0ड0 01 के पति पर लोहे की छड़, कुदाल और कस्सी से हमला किया और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। घटना मृतक के खेत में हुई। घटना से एक दिन पूर्व, मृतक की प्रत्यर्थीगणों में से एक के साथ बहस हुई थी। विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण को पी0ड0 01, 02 एवं 03 की साक्ष्य पर विश्वास करते हुए जिन्हें कि चश्मदीद साक्षी के रूप में बताया गया धारा 302 सपठित धारा 34 भादस के अंतर्गत दोषसिद्ध किया। पीडब्लू 02 और पीडब्लू 03 क्रमशः पीडब्लू 01 के भाई और पुत्र हैं। उच्च न्यायालय ने हालाँकि, प्रत्यर्थीगण को यह मानते हुए दोषमुक्त कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ अपने आरोपों को स्थापित करने में विफल रहा है, इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा अभिनिर्धारित किया

1.1. पीडब्लू-1 ने अनुसंधान के दौरान दिए गए अपने बयान से आंशिक रूप से इंकार किया। उसके अनुसार, उसने हमलावरों को एक मील

की दूरी से देखा। खेत में गन्ने की फसल खडी थी जो कि उसके और उस स्थान के जहां घटना घटित हो रही थी, देखने में बाधा उत्पन्न कर रही थी। उसने स्वीकार किया कि उसने खुद हमला नहीं देखा था, लेकिन अभियुक्तगण जब जंगल की तरफ भाग रहे थे तब उसने उन्हें देखा था। उसने उन्हें एक मील की दूरी से भागते हुए देखने का कथन किया है। उसने आगे स्वीकार किया कि उसके खेत व गांव के बीच में कई खेत स्थित थे, जहां गन्ना एवं गेहूं की फसलें खड़ी थीं। [पैरा-9][545-एच, 546-ए-बी]

1.2. पीडब्लू-2 ने कहा कि उसने भी अभियुक्तगण को हमला करते हुए भी देखा था, लेकिन जिरह के दौरान उसने स्वीकार किया कि वह जब घटनास्थल पर आया तब हमला खत्म हो चुका था और उसने अभियुक्तगण को गन्ने के खेत में जंगल की ओर भागते हुए देखा था। उसने स्वीकार किया कि वह पीडब्लू 1 के साथ था। [पैरा-10][546-सी]

1.3. पीडब्लू-3 घटना के समय 9 वर्ष का बच्चा था। उसने भी यह स्वीकार किया कि उसने अभियुक्तगण को भागते हुए देखा था जब वह अपनी मां के पास में खड़ा था। [पैरा-11][546-डी]

2. पीडब्लू 1,2 और 3 की साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि वे उस खेत से बहुत दूर थे जहां घटना घटित हुई थी। उच्च

न्यायालय ने कहा कि इतनी दूर से पहचान करना व्यावहारिक रूप से असंभव था, विशेष रूप से जब गन्ने की खड़ी फसलों से खेत बाधित था, जिनकी ऊंचाई 6 से 7 फीट से कम नहीं थी, इसलिए उच्च न्यायालय ने ठीक कहा कि वे न केवल दूरी के कारण बल्कि गन्ने की फसलों की ऊंचाई के कारण हमलावरों को नहीं देख सकते थे। इसके अतिरिक्त, सभी गवाहों ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के पास धारदार हथियार और राॅड थीं, लेकिन एक भी चोट कटी हुई नहीं थी। सभी चोटें कुचले हुए घाव के रूप में या थक्केदार थीं। [पैरा 12][546-डी-ई]

3. साक्ष्य की पूर्ण विसंगत प्रकृति को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के बयान को सही ढंग से खारिज कर दिया है और दोषसिद्धि को अपास्त किया। [पैरा-13][546-एफ]

आपराधिक अपील न्याय निर्णयः आपराधिक अपील संख्या 364/2002

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांकित 15.05.2000 जो कि आपराधिक अपील सं. 1019/1980

एमसी ढींगरा, विजय प्रताप सिंह, अनुव्रत शर्मा और प्रवीण स्वरूप अपीलार्थी की ओर से।

असिजीत कुमार रॉय और प्रेमानंद एम. एस. (सूर्यकांत के लिए) प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत,जे द्वारा दिया गया

1. यू. पी. राज्य ने यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिविजन बैंच के द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध पेश की गई जिसमें न्यायालय ने तीनों प्रत्यर्थीगणों को दोषमुक्त किया। (इसके बाद निर्णय में उन्हें ए-1, ए-2 और ए-3 के रूप में संबोधित किया गया है)

2. अभियुक्तगण को धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में भादस) 1860 के अंतर्गत अतिरिक्त और सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा सेशन प्रकरण सं. 359/78 में दोषसिद्ध किया गया।

3. संक्षेप में प्रकरण की पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैंः

प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श 01) के अनुसार बुद्धि शिकायतकर्ता पी0ड0 01 का पति जबकि ए-1, अब्दुल करीम उसका बड़ा भाई था। वह किसी पंजाबी का ऋणी था और इसलिए उसने अपना घर और डेढ़ बीघा कृषि भूमि उसके पास गिरवी रख दी थी और गांव छोड़कर 20 साल पहले बहेरी चला गया था और वहां वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बस गया था। शिकायतकर्ता के पति ने पंजाबी का ऋण चुकाने के बाद उस संपत्ति को गिरवी से छुड़ा लिया और उस अभियुक्त के घर और कृषि

भूमि पर काबिज हो गया। घटना से तीन महीने पहले आरोपी अब्दुल करीम ने उसके पति से संपर्क किया और उससे अपना घर वापस करने या उसके लिए एक दुकान बनाने का अनुरोध किया। इसलिए उसके पति ने उसे अपने घर के एक हिस्से में एक दुकान दी थी। इसके बाद, उसने अपने बेटे सलीम को गाँव बुलाया और दोनों ने वहाँ किराने की दुकान शुरू कर दी। इसके बाद उसके दिमाग में कुछ बेईमानी उत्पन्न हुई और अपने घर और डेढ़ बीघा कृषि भूमि को वापस करने के लिए दबाव डालने लगा लेकिन उसके पति ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। अभियुक्त का कृषि भूखंड मृतक के भूखंड के पास में स्थित था, इसलिए वह एक साथ खेती करता था। वह पिछले तीन वर्षों से इन खेतों की जुताई कर रहा था और घटना से एक दिन पहले आरोपी अब्दुल करीम ने उसके पति से उसके खेत की जुताई नहीं करने के लिए कहा था, लेकिन उसके पति ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। इससे आरोपी क्रोधित हो गया और उसने धमकी दी कि अगर उसने खेत की जुताई करने का प्रयास किया तो अगले दिन उसे सबक सिखा देगा। उसके पति ने इसकी परवाह नहीं की और उन्हें चुनौती दी कि अगर उनमें ऐसा करने का साहस है तो वह उसे रोककर दिखाये। घटना की तारीख को सुबह उसका पति बैलों और हल के साथ खेत में जुताई करने गया और लगभग सुबह के 7 बजे शिकायतकर्ता और उसका बेटा मुख्तार उसे वहां खाना देने जा रहे थे और जब वे खेत के पास पहुंचे

तो उन्होंने देखा कि आरोपी सलीम (ए3) लोहे की राॅड से लैस, अब्दुल हामिद (ए-2) कुदाली से लैस और अब्दुल करीम (ए-1) कस्सी से लैस उनके खेत की ओर बढ़ रहे थे और वे उसके पति को गाली देने लगे और वे हथियारों से उस पर हमला करने लगे और उसे घायल कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। वे वहाँ उसे पीटते रहे। शिकायतकर्ता और उसके पति की चिल्लाहट सुनकर, उसका भाई ''छोटे'' जो कि वहां शौच करने आया था और कई अन्य सह-ग्रामीण भी वहाँ पहुंचे और उनको देखते हुए आरोपी यह मानते हुए जंगल की ओर भाग गया कि उसका पति मर चुका है। बाद में उसने गाँव से एक चारपाई की व्यवस्था की और घायलों को रखने के बाद रफीक, राशिद अलाउद्दीन, मुंशी, अब्दुल समद के साथ पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ीं और गाँव एटावा के पास पहुंचीं। रास्ते में उसके पति ने अंतिम सांस ली और फिर वह पुलिस स्टेशन गई और उसी दिन लगभग सुबह 11.00 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई।

प्रमुख मोहरिर जगदीश सिंह ने एसआई डीडी अग्रवाल (पी0ड0 05) की उपस्थिति में शिकायतकर्ता की मौखिक सूचना के आधार पर जाँच रिपोर्ट और जी. डी. (प्रदर्श 03) रिपोर्ट तैयार की। डी. डी. अग्रवाल (पीडब्लू. 5) ने तुरंत जाँच शुरू की। उसने शिकायतकर्ता से पूछताछ की और फिर जांच रिपोर्ट, चालान और शव की तस्वीर तैयार की। जो क्रमशः (प्रदर्श4 से प्रदर्श6) और शव को सील कर दिया और कांस्टेबल को आवश्यक

कागजातों के साथ में पोस्टमॉर्टम जांच के लिए अस्पताल भेजा और उसने खून से सनी चादर की फर्द जप्ती भी तैयार की जो कि शव को ढकने के काम में ली गई थी। उसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण कर उसने नक्शामौका (प्रदर्श 08) बनाया। उसने खून से सना हुआ मिट्टी का नमूना लिया और अलग डिब्बे में बंद किया (प्रदर्श 01, 02) और फर्द जप्ती प्रदर्श 09 भी तैयार की। उसके बाद अन्य गवाहों से भी पूछताछ की गई और अनुसंधान पूर्ण करने के पश्चात उसने अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अभियुक्त फरार रहे और बाद में न्यायालय में आत्म समर्पण किया। उसने श्रीमती मंगो के धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में संहिता) के बयानों को साबित किया प्रदर्श 12 विचारण के दौरान।

डॉ. आई. एस. तोमर (पीडब्लू. 4) ने शव का पोस्टमार्टम दिनांक 13.04.1978 को करीब 3:15 पी0 एम 0 पर किया और उसने पाया कि मृतक 40 वर्ष का था और उसकी मृत्यु परीक्षण से 1-1/4 दिन के भीतर हुई थी। उसका साधारण शरीर था और उसके शरीर के निचले अंगों में मृत्युजनित कठोरता पाई गई थी जो उपर के अंगों में भी बढ़ रही थी। उसके शरीर पर मृत्यु पूर्व की निम्न चोटें पाई गई थीं।

1. कुचला हुआ घाव 2.5 सेमी गुणा 5 सेमी खोपड़ी की गहराई में सिर के बाईं ओर और 9 से.मी. बाएँ कान के ऊपर, तिरछा।

2. कुचला हुआ घाव 2 सेमी गुणा 5 सेमी, खोपडी की गहराई पर दाहिने तरफ सिर के 7 सेमी. कान से ऊपर तिरछे रूप से,

3. कुचला हुआ घाव 3 सेमी गुणा 1 सेमी। खोपड़ी की गहराई में सिर के ऊपर बीच में, तिरछे रूप से।

4. कई थक्केदार चोटें 24 गुणा 4 सेमी. दाहिने हाथ के बाहरी क्षेत्र में उपर से नीचे की ओर।

5.कुचली हुई थक्केदार चोट 3 सेमी. गुणा 2 सेमी. दाहिनी कोहनी की पीछे की तरफ।

6. थक्केदार चोट 4 सेमी. गुणा 3 सेमी. दाहिने हाथ के पुस्त भाग पर।

7. कई थक्केदार चोटें 6 सेमी. गुणा 1.7 सेमी. बांये कंधे के उपरी क्षेत्र पर।

8. कई थक्केदार चोटें 25 से. मी. गुणा 8 से. मी. के क्षेत्र में और कंधे से कोहनी तक बाएं हाथ के पीछे।

9. दो कुचले हुए घाव एक 3 से.मी. गुणा 5 से.मी. गुणा 6 से.मी. गहरा और दूसरा 2 सेमी. गुणा 5 से.मी. गुणा हड्डी की गहराई तक बाएं हाथ के अग्र-भुजा के पीछे ऊपरी तीसरे हिस्से में।

10. कुचली हुई थक्केदार चोट 10 सेमी. गुणा 4 सेमी. बाएँ अग्र-भुजा के पीछे।

11. थक्केदार चोट 6 सेमी. गुणा 4 सेमी. बाएं हाथ के पुस्त भाग पर और बाईं अनामिका उंगली में अस्थिभंग।

12. कई थक्केदार चोटें 36 सेमी. गुणा 11 सेमी. बांई जांघ और बाएँ नितंब के बाहरी पहलू एक दूसरे के समानांतर हैं।

13. कई थक्केदार चोटें 21 सेमी. गुणा 5 सेमी. गुणा हड्डी की गहराई तक बाएँ पैर के सामने।

14. कुचला हुआ घाव 1 से. मी. गुणा 1 से. मी. गुणा 6 से. मी. बाएं घुटने के बाहरी तरफ गहराई में।

15. कई थक्केदार चोटें 6 सेमी गुणा 2 सेमी पैर के पिछले भाग में उपरी तीसरे हिस्से में।

16. कुचला हुआ घाव 4 से. मी. गुणा 1.5 से. मी. गुणा हड्डी की गहराई में सामने बीच में लेड किया गया है और दोनों हड्डियाँ टूट गई हैं।

17. कुचला हुआ घाव 4 सेमी. गुणा 3 सेमी. दाहिने घुटने के बाहरी हिस्से पर।

18. कुचला हुआ घाव 2 सेमी. गुणा 1 सेमी. दाहिनी तरफ छाती से 9 सेमी. निप्पल 5‘0‘ बजे की घड़ी की स्थिति।

19. कई थक्केदार चोटें पूरी पीठ पर 43 सेमी गुणा 26 सेमी के क्षेत्र में कई चोटें कंधे से कमर तक समानांतर और तिरछी, दो समानांतर रेखाएँ हर चोट में देखी जाती है।

4. आंतरिक जांच में उसे पार्शि्वका हड्डी और बगल की हड्डी में अस्थि भंग पाया गया। मस्तिक और झिल्ली जमी हुई पाई गई। झिल्ली के आसपास रक्त पाया गया। दाहिनी ओर हृदय रक्त से भरा हुआ था। वहीं बांई ओर खाली पाया गया। पेट और छोटी आंतें खाली थीं जबकि बडी आंत आधी भरी थी। मृत्यु आघात के कारण और एंटीमॉर्टम चोटों के कारण रक्तस्राव हुआ था। उसने पोस्टमार्टम परीक्षा की रिपोर्ट प्रदर्श 01 को प्रमाणित किया और उसने मृतक के खून से सने शर्ट और अंडरविअर के साथ में सील पैकेट के साथ में अनुसंधान अधिकारी के पास भेजा था। उसकी राय में चोटें तथा मृतक की मृत्यु लगभग दिनांक 12.04.1978 को सुबह 7-8 बजे के बीच में लोहे की राॅड, कुदाली और कस्सी से आई थी।

5. अनुसंधान के पश्चात संपूर्ण आरोप पत्र दाखिल किया गया लेकिन अभियुक्तगण ने स्वयं के निर्दोष होने का कथन किया और विचारण की मांग की। पांच गवाहों को अभियोजन पक्ष के समर्थन में

परीक्षित कराया गया। श्रीमती. मांगो (पीडब्लू-1) मृतक की विधवा, छोटे (पीडब्लू-2) मृतक की पत्नी का भाई और मुख्तार मृतक के बेटे अहमद (पीडब्लू-3) को चश्मदीद गवाह बताया गया। विचारण न्यायालय ने पी0ड0 01, 02 और 03 की साक्ष्य को विश्वसनीय एवं ठोस पाया तथा प्रत्यर्थीगण को दोषी ठहराया।

6. अपील में, उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का विश्लेषण किया और यह निर्धारित किया कि अभियोजन अपने आरोपों को साबित करने में असफल रहा है जिसके कारण दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया गया है।

7. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने राज्य की ओर से तर्क दिया कि पी0ड0 01, 02, 03 की साक्ष्य में कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यर्थीगण ही हमलावार थे और विचारण न्यायालय ने सही तौर पर उन्हें दोषी ठहराया था।

8. प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने दोषमुक्ति के निर्णय का समर्थन किया।

9. जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही कहा है कि मामला इस बात पर निर्भर करता है कि पी0ड0 01, 02 और 03 ने अनुसंधान के दौरान दिये गये बयानों से आंशिक रूप से इंकार किया है। उनके अनुसार, उन्होंने हमलावरों को एक मील की दूरी से देखा। खेत में गन्ने की फसल खडी थी

जो कि उसके व घटनास्थल के बीच में देखने में बाधा उत्पन्न कर रही थी। उसने इस बात को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा हमला नहीं देखा गया था लेकिन उसने अभियुक्तगणों को जंगल में भागते हुए देखा था। जैसा कि उपर वर्णित है कि उसने उन्हें एक मील की दूरी से भागते हुए देखना बताया है। उसने आगे यह भी स्वीकार किया है कि गांव और उसके खेत के बीच में कई खेत स्थित हैं जिनमें गन्ने की फसल और गेहूं की फसल खडी थी।

10. पीडब्लू-2 ने कहा कि उसने अभियुक्तगण को अपराध करते हुए भी देखा था लेकिन उसने जिरह में यह स्वीकार किया कि वह उस स्थान पर आया था जब हमला खत्म हो गया था और उसने अभियुक्तगणों को जंगल की ओर गन्ने के खेत में भागते देखा था। उसने स्वीकार किया कि वह पीडब्लू 1 के साथ था।

11. घटना के समय पीडब्लू-3 जो कि 9 साल का बच्चा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्तगण को पीठ से पीछे से उसने अपनी माँ के पास खड़े होकर देखा था।

12. पीडब्लू 01, 02 और 03 की साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से जाहिर हो रहा है कि वे उस खेत से काफी दूर थे जहां घटना घटित हुई। उच्च न्यायालय ने कहा है कि शिनाख्तगी वास्तविक रूप से संभव नहीं थी

जबकि विशेष तौर पर गन्ने की फसल खेतों में खडी थी जो कि 6-7 फीट की उंचाई से कम नहीं थे। उच्च न्यायालय ने सही तौर पर यह निष्कर्ष दिया है कि वे हमलावरों को न केवल दूरी अपितु गन्ने की फसल की उंचाई की वजह से भी नहीं देख सकते थे। इसके अतिरिक्त सभी गवाहों ने कहा है कि आरोपी व्यक्तियों के पास धारदार हथियार और राॅड थीं, लेकिन एक भी चोट कटी हुई नहीं थी, सभी चोटें कुचले हुए घाव के रूप में या थक्केदार थीं।

13. साक्ष्य की पूर्ण विरोधाभास की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने अभियोजन के पक्ष को सही ढंग से खारिज किया है और दोषसिद्धि को अपास्त किया है। हम उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। अपील असफल होने के कारण खारिज की जाती है।

याचिका खारिज कर दी गई।

बी.बी.बी

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ऋतु मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।